बिहार विधान सभा वादवृत्त

बुधवार, तिथि २५ मार्च १९५०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने में बुधवार, तिथि २५ मार्च १९५० को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

गत अधिवेशन के अवशिष्ट प्रश्नों के उत्तर

माननीय श्री श्रीकृष्ण वल्लभ सहाय: महोदय, गत अधिवेशन से रुके हुए शेष प्रश्नों में से १८ प्रश्नों के उत्तर मेज पर रखता हूं।

मिशनरी संस्थाओं और रांची जिले के आदिम जाति सेवामण्डल द्वारा चलाये गये संस्थाओं को दी गई अनुदान।

५५। श्री इगनेश बेक: क्या माननीय शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह बात सही है कि रांची जिले में अनेक प्राथमिक मिशन पाठशालाएं हैं जो पहले से स्थापित और सुचारू रहने पर भी उनको सरकारी आर्थिक सहायता नामंजूर की जा रही है, यदि 'हां' तो क्यों ?

(ख) क्या आदिम जाति सेवामण्डल के कोई एक भी पाठशाला है, जिसको ऐसी आर्थिक सहायता सरकार से नामंजूर की गई है, यदि नहीं तो क्या कारण है ?

(ग) क्या यह सच है कि बहुत से मिशन पाठशालाओं के निकट ही आदिम जाति सेवामण्डल ने अपनी पाठशालाओं को खोला है;

(घ) यदि खण्ड (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या कोई मिशन पाठशाला गैर ईसाई आदिवासियों को अपनी पाठशालाओं में भर्ती करने से इन्कार किया है, यदि हां, तो उस पाठशाला का नाम और पता ?

(ग) उसकी खबर सरकार को नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

गुडीकेटा में चीनी मिट्टी का ठीका।

७७। श्री सिद्दिउ हेम्ब्रोम : क्या माननीय राजस्व मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि:—

(क) कोल्हान स्टेट के गुडीकेटा नामक स्थान का चीनी मिट्टी का ठीका किसको दिया गया है।

(ख) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त खान के वर्तमान ठीकेदार ने दूसरे ठीकेदार से खरीदा है, यदि हां, तो कितने दाम पर खरीदा है।

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि उस खान का दाम जो माइनिंग विभाग को सूचित किया है वह बहुत कम है?

माननीय श्री कृष्ण वल्लभ सहाय :

(क) गुडीकेटा के चीनी मिट्टी का ठीका चाईबासा के श्री ए० टी० हिउ को दिया गया है।

(ख) उत्तर नकारात्मक है। पुराने ठीकेदार श्री बी० बी० मित्रा ने अपने ठीका को वापस कर दिया और नया ठीका वर्तमान ठीकेदार श्री ए० टी० हिउ को दिया गया।

(ग) कीमत का प्रश्न नहीं उठता है।

१९४९–५० साल में माइनर इरीगेशन के लिए रुपया।

७८। श्री राधाकांत चौधरी : क्या माननीय राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) सन् १९४९–५० साल में अभी तक माइनर इरीगेशन काम के लिए किस जिला में कितना रुपया दिया गया और किस आधार पर;

(ख) एक स्कीम पर ज्यादे से ज्यादे कितना रुपया खर्च करने का नियम है;

(ग) दरखास्त देने से काम की समाप्ति तक किसके द्वारा और किन नियमों के अनुसार काम होता है?